

पत्रांक-7/फा0-11-01/2017-120(7)0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें
फाईलेरिया नियंत्रण, स्वास्थ्य भवन, सुल्तानगंज, पटना-6
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक 27-12-2017

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹1,85,03,900/- (एक करोड़ पच्चासी लाख तीन हजार नौ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-15.05.17, 35(7)ब दिनांक-20.07.17, 60(7)ब दिनांक-13.09.17 एवं 96(7)ब दिनांक-01.11.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹1,85,03,900/- (एक करोड़ पच्चासी लाख तीन हजार नौ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (फाईलेरिया नियंत्रण) बिहार, पटना तथा सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।


6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
 2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
 3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।
- सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
 10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के कम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
 11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
 12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
रजि०

ज्ञापांक : 120(7)९

पटना, दिनांक : 27-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


27/12/17
सरकार के विशेष सचिव
रजि०

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित फाइलेरिया नियंत्रण(विपत्र कोड 20-2210061010002) उपशीर्ष का वेतन मत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	परिवहन मत्ता (01-05)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	सामग्री एवं प्रतियाँ (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अपर निदेशक, फाइलेरिया	170000	255000	17000	52000	2890	3060	49950	0	0	0	49950	705/21.11.17
2	सारण	550000	825000	55000	0	9350	9900	1449250	0	0	0	1449250	66/2.11.17
3	सहरसा	400000	600000	40000	0	6800	7200	1054000	0	0	0	1054000	2271/20.11.17
4	पश्चिम चम्पारण	180000	270000	18000	0	3060	3240	474300	0	0	0	474300	51/12.10.17
5	रोहतास	1200000	1800000	120000	0	20400	21600	3162000	0	0	0	3162000	148/16.12.17
6	दरभंगा	1200000	1800000	120000	0	20400	21600	3162000	0	0	0	3162000	475/4.10.17
7	मधुबनी	3000000	4500000	300000	0	51000	144000	7995000	20000	20000	10000	8045000	169/3.11.17
8	नवादा	240000	360000	24000	0	4080	4320	632400	0	10000	15000	657400	204/14.11.17
	कुल	6940000	10410000	694000	52000	117980	214920	18428900	20000	30000	25000	18503900	

(एक करोड़ पच्चासी लाख तीन हजार नौ, सौ) रु० मात्र

120(R)0
27-12-17

सरकार के विशेष सचिव
रु०

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	99300000	88050000	6940000	94990000	4310000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	130182000	114269500	10410000	124679500	5502500
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	10579000	8983500	694000	9677500	901500
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	433000	305500	52000	357500	75500
5	शिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	1706000	1535500	117980	1653480	52520
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	1973000	1614900	214920	1829820	143180
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन	244173000	214758900	18428900	233187800	10985200
7	शिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	300000	142598	0	142598	157402
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	155000	20000	175000	25000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	300000	255000	30000	285000	15000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	90000	45000	0	45000	45000
11	दूरभाष (0002-13-03)	50000	25000	0	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	30000	30000	0	30000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	51000	0	51000	49000
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	66000	66000	0	66000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	550000	265000	0	265000	285000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	1100000	0	0	0	1100000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	400000	325000	25000	350000	50000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	200000	119000	0	119000	81000
	कुल योग:-	247560000	216237498	18503900	234741398	12818602

120(F)A

27-12-17

सरकार के विशेष सचिव
 27/12/17
 27/12/17